आरक्षित निर्णय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्रा

एवं

न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र खुल्बे

सरकारी अपील संख्या 333 सन 2004

09.06.2022 को आरक्षित

24-06-2022 को उद्घोषित

उत्तराखंड राज्य .....अपीलकर्ता

बनाम

राजेंद्र सिंह यादव .....प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता :श्री जे. एस. विर्क, उप महाधिवक्ता के साथ श्री पंकज जोशी

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता : श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

सहायक श्री अजय जोशी, विद्वान अधिवक्ता।

विद्वान अधिवक्तगण को सुनने के बाद, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय: दिया गया

(न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र खुल्बे के अनुसार)

वर्तमान अपील राज्य सरकार द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 07.06.2002 को एस. टी. नं. 399 सन 2001 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त को दोषी नहीं पाया था और तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/ 4 के अंतर्गत बरी कर दिया।

2. मामले के तथ्यात्मक आधार यह है कि, सूचना देने वाले-सुनील कुमार यादव पुत्र जयराम सिंह यादव, निवासी शांति नगर, बिलासपुर, जिला रामपुर ने 31.07.2001 को पुलिस स्टेशन खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के अंतर्गत चौकी मझोला में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसकी छोटी बहन ममता की शादी 19.06.1998 को राजेन्द्र सिंह यादव के साथ हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार की गई थी और उसकी क्षमता के अनुसार दहेज दिया गया था। उसकी बहन के पति, राजेंद्र सिंह ने शादी के तुरंत पश्चात 50,000 रुपये की मांग शुरू कर दी। सूचना देने वाले की बहन ने इस बारे में कई बार उसको बताया। सूचना देने वाले और उसके परिवार के सदस्यों ने राजेंद्र सिंह यादव को कई बार समझाया। सूचना देने वाले का जीजा उधम सिंह नगर जिले के भिलिया (जमोर) के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। 30.07.2001 को रात में लगभग 10 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि राजेंद्र सिंह ने ममता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया है। इस पर सूचनकर्ता और उसका परिवार 31 जुलाई, 2001 को सुबह 7 बजे जामोर पहुंचा। उन्होंने देखा कि उसका शव जला हुआ पड़ा है। मुखबिर का जीजा मौके पर मौजूद नहीं था। आरोप है कि दहेज के लालच में ममता को उसके पति ने जला दिया और उसकी हत्या कर दी। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर पुलिस चौकी पर प्रदर्श क-1, चिक एफआईआर प्रदर्श क-13 दर्ज की गई थी।

3.मामले की प्रारंभिक जांच सीओ, रुद्रपुर, पीडब्ल्यू6 श्रीमती विमला गुंज्याल द्वारा की गई। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, प्रदर्श क-5ए के रूप में चिह्नित साइट मैप तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। प्रदर्श क-14 जी.डी. की कार्बन कॉपी है प्रदर्श क-2 पंचनामा प्रदर्श क-3 पोस्ट मार्टम प्रदर्श क-4 मृतक के शरीर पर पाए गए जले हुए निशान के बारे में चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्रदर्श क-5 अस्पताल में मृतक के प्रवेश के संबंध में पुलिस स्टेशन को डॉक्टर की रिपोर्ट, प्रदर्श क-6 मृतक के शव के पोस्टमार्टम के संबंध में तहसीलदार का विवेचनाधिकारी को संबोधित पत्र, प्रदर्श क-7 मृतक के शव के पोस्टमार्टम के संबंध में तहसीलदार का सी एम ओ को संबोधित पत्र प्रदर्श क-8 शव का स्केच प्रदर्श क-9 सील नमूना प्रदर्श क-10 शव के कपड़ों को पोस्टमार्टम के पश्चात भेजने के संबंध में पत्र और प्रदर्श क-11 घटना स्थल से मिट्टी के नमूने के संग्रह की रिपोर्ट है। इसके बाद, विवेचना पीडब्लू 7 डी. एस. कुंवर को सौंप दी गई, जिन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र (प्रदर्श क-6) भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/ 4 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अनुपालन के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया। तदनुसार, संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लिया। इसके बाद, संबंधित न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४ बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा ३/ ४ के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप तय किए, लेकिन उसने खुद को निर्दोष बताया और विचरण किए जाने का दावा किया।

5. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन ने पी डब्लू 1 सुनील यादव-सूचनकर्ता, पी डब्लू 2 भूरी देवी, पी डब्लू 3 संजीव कुमार, पी डब्लू 4 डॉ विमल कुमार श्रीवास्तव, ई एन टी सर्जन, पी डब्लू 5 डॉ प्रकाश चंद्र पांडे, पी डब्लू 6 श्रीमती विमला गुंज्याल, सी ओ, रुद्रपुर, जो मामले के पहले आई ओ हैं, पी डब्लू 7 डी

एस कुंवर, डी एस पी, खटीमा, विवेचना अधिकारी और पी डब्लू 8 कृष्ण सिंह, तहसीलदार, जिन्होंने पंचनामा तैयार किया था, से पूछताछ की।

6. पी डब्लू १ सुनील यादव सूचनकर्ता है और उसने कहा कि उसकी बहन ममता की शादी अभियुक्त राजेंद्र सिंह के साथ १९.०६.१९९८ को संपन्न हुई थी। शादी के बाद आरोपी ने उसकी बहन को एक साल तक साथ रखा। इसके बाद आरोपी ने मोटरसाइकिल अन्यथा 50,000 रुपये नकद की मांग की। वह मृतका की पिटाई करता था। घटना के एक महीने पहले आरोपी को 30,000/ - रुपये नकद दिए गए थे और रक्षा बंधन त्यौहार के बाद शेष 20,000/ - रुपये के भुगतान का आश्वासन दिया गया था।

7. 30 जुलाई, 2001 को लगभग 10 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि उसकी बहन ममता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया है। इस सूचना पर वह अपनी मां, बहन और पड़ोसी के साथ खटीमा गांव जामोर पहुंचा। 31.07.2001 को 7:30 बजे सुबह उन्होंने जला हुआ शव जमीन पर पड़ा देखा। जबकि आरोपी राजेंद्र मौके पर मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

8.पी डब्लू २ भूरी देवी, जो मृतक की मां है, ने कहा है कि मृतका ममता का विवाह १९.०६.१९९८ को अभियुक्त राजेंद्र के साथ संपन्न हुआ था। अभियुक्त-प्रत्यर्थी एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक है। विवाह के समय फ्रिज, रंगीन टीवी, सोफा, बिस्तर, आभूषण, बर्तन आदि दिए गए थे। आरोपी- प्रत्यर्थी ने शादी के समय मोटरसाइकिल की मांग की और आरोपी को उसकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। शादी के पश्चात मृतका ने उसे शिकायत की थी कि आरोपी- प्रत्यर्थी उसे पीटते थे और मोटरसाइकिल या 50,000 रुपये नकद की मांग कर रहे थे। उसे मृत्यु से बीस दिन पहले मृतका का फोन आया और वह पैसे मांग रही थी। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को फोन किया और 30,000 रुपये दिए और वादा किया कि शेष 20,000 रुपये रक्षा बंधन के त्योहार पर दिए जाएंगे। 30 जुलाई, 2001 को किसी ने फोन के माध्यम से सूचित किया कि आरोपी प्रतिवादी राजेंद्र ने मेरी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। उसके बड़े बेटे, पति और रिश्तेदार मृतक के ससुराल गए।

9. पीडब्लू 3 संजीव कुमार पंचनामा का गवाह है। पीडब्ल्यू4 डॉ. विमल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 31.07.2001 को वह पीलीभीत के जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे।उसी दिन उन्होंने मृतका श्रीमती ममता का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की, जो प्रदर्श क-3. है ।

10. पीडब्ल्यू5 डॉ. प्रकाश चंद्र पांडेय ने बताया कि 30 जुलाई, 2001 को उन्हें सीएचसी खटीमा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन शाम 7:50 बजे उन्होंने श्रीमती ममता की चिकित्सा जांच की। उसका पति उसे लेकर आया था। उसके शरीर पर कोई पहचान निशान नहीं था क्योंकि यह 90% जलने की घटना थी। उन्होंने मरीज का इलाज किया, सर्जन की सलाह ली और पुलिस को सूचित किया। उनकी राय में, मौत मिट्टी के तेल के संपर्क में आने से जलने की वजह से हुई है। उन्होंने चिकित्सा जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) को सिद्ध किया।

11.पीडब्ल्यू6 श्रीमती विमला गुंज्याल, सर्कल ऑफिसर, रुद्रपुर ने कहा कि 31.07.2001 को विवेचना उन्हें सौंप दी गई थी। उसने सूचनकर्ता का बयान दर्ज किया और साइट मैप तैयार किया।

12. पी डब्लू 7 डी एस कुंवर, पुलिस उपाधीक्षक, खटीमा ने कहा कि उन्हें 2 अगस्त 2001 को विवेचना प्राप्त हुई और उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। तदनुसार, विवेचना पूरी होने के पश्चात आरोप पत्र (प्रदर्श क-6) प्रस्तुत किया गया

13.पी डब्लू 8 कृष्ण सिंह ने कहा कि 31.07.2001 को वह तहसीलदार, खटीमा के रूप में तैनात थे। श्रीमती ममता की हत्या के बारे में जानकारी मिलने पर, वह जामोर गए और पंचनामा तैयार किया, जो प्रदर्श क-2 है । 14. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के से अभियुक्त-प्रत्यर्थी का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों से इनकार किया। बचाव में, आरोपी ने डीडब्ल्यू1 उदयभान यादव को पेश किया।

15. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और तदनुसार उसे भा. दं. सं. की धारा 304-ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/ 4 के आरोपों से बरी कर दिया ।

16. हमने राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता को सुना और अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को विस्तार से सुना और अभिलेख पर सम्पूर्ण सामग्री का अध्ययन किया।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया कि पीड़िता और अभियुक्त-प्रत्यर्थी का विवाह वर्ष 1998 में संपन्न हुआ था। पीड़िता की 30 जुलाई, 2001 को मृत्यु हो गई जो उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न थी। प्रत्यर्थी-पति मृतका(पत्नी) से दहेज की मांग करता था और उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ मारपीट करता था। भाई और मां ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत दिए हैं। धारा 304ख के अधीन प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उचित मूल्यांकन नहीं किया एवं अपील स्वीकार करने योग्य है।

18. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और निचली न्यायालय ने उचित रूप से अभियुक्त-प्रत्यर्थी को बरी किया है।

19. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, अभियोजन द्वारा दिए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए आरोपों पर अलग से चर्चा करना उचित होगा।

20. सबसे पहले, अभियोजन के मामले और अभियुक्त प्रत्यर्थी के नेतृत्व में साक्ष्यों की संवीक्षा करने के लिए, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के सुसंगत उपबंध के नीचे उद्धृत कर सकते हैं जो "दहेज मृत्यु" से संबंधित है:-

> 304ख दहेज मृत्यु (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी जलने या शारीरिक क्षति के सेरण होती है या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग किया गया था,

वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु सेरित की है।

व्याख्या.-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु करेगा वह कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी।

21. जैसा कि पूर्वोक्त उपबंध से देखा जा सकता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख से दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए निम्नलिखित पूर्व-शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(i) महिला की मृत्यु जलने अथवा शारीरिक चोटों अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में करीत हुई हो

(ii) यह कि ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष से अवधि के भीतर हुई होगी,

(iii) कि महिला को उससे मृत्यु से ठीक पहले उसके पति के हाथों क्रूरता या तंग किया गया होगा, और

(iv) ऐसी क्रूरता या तंग करने वाला दहेज से किसी मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए।

22. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख में दहेज-मृत्यु से संबंधित उपधारणा का निर्देश किया गया है और इसे निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया गया हैः

113ख. दहेज-मृत्यु के बारे में उपधारणा-जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज-मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला को दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या तंग किया गया है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज-मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " दहेज मृत्यु " का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-ख में है।

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख से संलग्न स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'दहेज' शब्द का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में उपबंधित है जो निम्नलिखित हैः

"2. दहेज की परिभाषा- इस अधिनियम में, 'दहेज' से अभिप्रेत है - कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या दिए जाने के लिए सहमत हो -

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह पर या उससे पहले या उसके पश्चात किसी भी समय, किंतु ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है, डावर या महर शामिल नहीं है.

24. अपराध के मुख्य तत्व, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के उपबंध को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया जाना अपेक्षित है, यह है कि 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' पीड़ित को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग किया जाता था।

25. एक बार जब अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए स्थापित कर लेता है कि 'दहेज की मांग' के लिए या उसके संबंध में 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' किसी महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया है, तो न्यायालय इस उपधारणा पर आगे बढ़ेगा कि उस व्यक्ति ने जिसने दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की है, उसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अर्थ के भीतर दहेज मृत्यु कारित की है।

26. अब प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने मृत्यु के कारण के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में वर्णित उपधारणा को आकर्षित करने के लिए दहेज मृत्यु के प्राथमिक अवयवों की स्थापना की है।

27. विमल कुमार श्रीवास्तव और डॉ. प्रकाश चंद्र पांडेय को मृतक के शरीर पर मिट्टी के तेल की गंध मिली, जो 90% जल गई थी। इसलिए, वर्तमान मामले में, मृतक पीड़ित ने जलने के घावों के कारण दम तोड़ दिया। चूंकि मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर जलने वाली चोटों से संबंधित थी, यह स्पष्ट रूप से अपराध के पहले दो घटकों को संतुष्ट करता है।

28. दहेज की मांग के मुद्दे पर आते हुए, प्राथमिकी में मृतक के भाई सुनील यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने मृतका-पत्नी से 50,000/ - रुपए दहेज की मांग शुरू की थी और न्यायालय के समक्ष अपने बयान में, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि दहेज की मांग पर, रक्षा बंधन से पहले प्रत्यर्थी-अभियुक्त को 30,000/ - रुपए नकद दिए गए थे और रक्षा बंधन के त्योहार के पश्चात शेष राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त को आश्वासन दिया गया था।उ न्होंने यह भी कहा कि आरोपी शादी के पश्चात पीड़िता के साथ मारपीट करता था।

29. मृतक की मां पी डब्लू २ भूरी देवी ने भी पी डब्लू १ के बयान की पुष्टि की और उचित रूप से कहा कि आरोपी मृतक से दहेज की मांग करता था। यह तथ्य मृतक द्वारा उसे बताया गया था और तदनुसार, प्रतिवादी-अभियुक्त को 30,000/ - रुपए नकद दिए गए थे।उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब मृतका माता-पिता के घर पहुंची तो उसने खुलासा किया कि आरोपी-प्रत्यर्थी दहेज की मांग के कारण उसके साथ मार-पीट किया करता था।

30. एफआईआर स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अभियुक्त प्रतिवादी दहेज की मांग करता था। पीडब्ल्यू1 सुनील यादव मृतक के भाई हैं, जबकि पीडब्ल्यू2 भूरी देवी मां हैं। दोनों गवाहों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आरोपी-प्रत्यर्थी मृतका के साथ मार-पीट करता था और दहेज के रूप में 50,000/ - रुपये की मांग करता था। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज की मांग पर 30,000 रुपये नकद दिए गए और रक्षा बंधन त्यौहार के पश्चात शेष राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त को आश्वासन दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ द्वारा यह तर्क दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घटना से ठीक पहले दहेज की मांग के कारण मृतक को कोई यातना दी गई थी या उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। "दहेज-मृत्यु" की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि "शीघ्र" वाक्यांश को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह हमेशा विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। पी. डब्ल्यू. 2-भूरी देवी के साक्ष्य से अग्रेतर यह देखा गया है कि उसकी बेटी ने उसकी मृत्यु से 20 दिन पहले उसे फोन किया और उसे पैसे लाने के लिए कहा। यह 50 हजार रुपये की पहले की मांग के संबंध में था।उ सने अग्रेतर कहा है कि उसने अपनी बेटी (मृतका) और दामाद (प्रत्यर्थी) को बुलाया और आरोपी और मृतक को 30,000/ - रुपये इस वादे के साथ दिए कि शेष राशि रक्षा बंधन के पश्चात दी जाएगी। रक्षा बंधन से कुछ दिन पहले, मृतका की जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यह कि यदि अपीलार्थी इतने दिनों तक प्रतीक्षा कर सकता है, तो उसके लिए रक्षा बंधन से 4-5 दिन पहले हत्या करने का कारण क्या है।

31. हमारा मत है कि इस तरह के अनुमान या परिकल्पना उचित नहीं हैं और इस तरह के गम्भीर प्रकृति के मामले में विचारण जज द्वारा इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए था। हमारा मत है कि यह तथ्य कि मृत्यु से 20 दिन पहले, मृतक ने अपनी मां को फोन किया और उसे पैसे लाने के लिए कहा, इस तथ्य का पर्याप्त रूप से संकेत है कि उसे दहेज की मांग के लिए यातना दी गई थी, जिसके कारण उसने अपनी मां को फोन किया। इसलिए, हमारा यह दृढ़ मत है कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन न केवल अनुचित है बल्कि विकृत है जिसमे हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

32.पीडब्लू 4 डॉ. विमल कुमार श्रीवास्तव और पीडब्लू 5 डॉ. प्रकाश चंद्र पांडे के बयान के अनुसार, मृतका की मौत जलने की चोटों के कारण हुई है।

33. डीडब्ल्यू१ उदयभान यादव के बयान के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, प्रतिवादी घर पर उपस्थित था। 34. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यह घटना 30.07.2001 को हुई थी, जबकि मृतका के साथ प्रत्यर्थी का विवाह 19.06.1998 को हुआ था, जो दर्शाता है कि पीड़ित की उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर मृत्यु हो गई थी।

35. विचारण विचारण ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया और प्रत्यर्थी को केवल इस अनुमान के आधार पर बरी कर दिया कि प्रत्यर्थी मृतक को उपचार के लिए अस्पताल ले गया था और अभिलेख पर कोई मृत्यु संबंधी कथन नहीं है।

36. साक्ष्य के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जब मृतका को अस्पताल ले जाया गया तो वह 90% जल चुकी थी और उसकी मृत्यु के कुछ दिनों पहले उसने अपनी मां और भाई को बताया था कि उसे दहेज की मांग के लिए प्रत्यर्थी-पति द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

37. सम्पूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थी-आरोपी के विरुद्ध अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और यह कि प्रत्यर्थी राजेंद्र सिंह (मृतका के पति) को दोषी ठहराने के लिए अभिलेख पर ठोस सबूत लाए गए हैं। सभी परिस्थितियां को साथ रखते हुए , दहेज की मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर शादी के तीन साल और दो महीने के भीतर अपनी पत्नी के जीवन को समाप्त करने के लिए उसके दोषी होने को इंगित करती हैं। पीड़िता की मौत के तुरंत पश्चात एफआईआर दर्ज की गई थी।

38. उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि जलने से घायल होने के कारण मृतका की मृत्यु उसके विवाह के लगभग तीन वर्ष और दो महीने के भीतर हुई थी। यह भी साबित हो चुका है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की मांग के कारण प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के घटक संतुष्ट हैं, इसलिए धारा 113-बी, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विरुद्ध संचालित होती है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध का कारण माना जाता है।

39. अभियोजन द्वारा पेश किए गए सम्पूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन से निम्नलिखित तथ्य साबित होते हैं:-

(क) मृतका ममता का विवाह प्रतिवादी (राजेन्द्र सिंह यादव) के साथ १९.०६.१९९८ को हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न किया गया।

(ख) पीड़िता की 30.07.2001 को जलने के कारण सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

(ग) उसकी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई।

(घ) मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति (प्रत्यर्थी) के हाथों क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था।

(ङ) प्रत्यर्थी ने दहेज की मांग के कारण अपनी पत्नी ममता के प्रति क्रूरता और उत्पीड़न कारित किया।

(च) मृतका ने अपनी मृत्यु से 20 दिन पूर्व अपनी मां को फोन किया और उसे धन लाने के लिए कहा और यह कि पी. डब्ल्यू. 2-भूरी देवी ने अपनी बेटी (मृतका) और दामाद (प्रत्यर्थी) को फोन किया और 30,000/ - रुपए दिए और यह वादा किया कि शेष धन रक्षा बंधन के पश्चात दिया जाएगा।

(छ) चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित ममता की 90% जलने के कारण मृत्यु हो गई।

40. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सरकारी अपील की स्वीकार होने योग्य है एवं स्वीकार कि जाती है।

41. तदनुसार, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट, उधम सिंह नगर द्वारा एस. टी. संख्या 399 सन 2001 मे भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/ 4 के अंतर्गत दिनांक 07.06.2002 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है।

42. नतीजतन, प्रत्यर्थी राजेंद्र सिंह यादव उर्फ राजेंद्र कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी एवं दहेज निषेध अधिनियम की 3/ 4 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी मे 20,000/ - रुपये के जुर्माने के साथ सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छह महीने के कठोर कारावास भुगतना होगा , वह दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 मे एक साल के कठोर कारावास के साथ 5,000/ - रुपये के जुर्माने की सजा काटेगा, जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में वह दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटेगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

43. अभियुक्त-प्रत्यर्थी को न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेशों को पूरा करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निदेश दिया जाता है।

44. एलसीआर के साथ इस निर्णय और आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

संजय कुमार मिश्रा, ए.सी.जे.

रमेश चंद्र खुल्बे, जे.

SS